सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

Base Certificate No.	:	IN-UK76929030325316S
Rectified Certificate No.	:	**IN-UK76935159761466S**
Certificate Issued Date	:	20-Jul-2020 11:44 AM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1211604/ RISHIKESH/ UK-DH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK121160456813739457298S
Purchased by	:	RAJENDRA SINGH KAINTHURA
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	NA
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	RAJENDRA SINGH KAINTHURA
Second Party	:	NA
Stamp Duty Paid By	:	RAJENDRA SINGH KAINTHURA
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

NOTARY ★ GOVT. OF INDIA ★ UTTARAKHAND NOTARIAL

Vijay Kumar Sharma
Stamp Vendor
Court Compound, Rishikesh

Please write or type below this line

शपथ पत्र

समक्षः– जिला पर्यटन विकास अधिकारी,देहरादून/विहित प्राधिकारी,उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद।

"उत्तराखंड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली–2014 (संशोधन–2016)।

शपथकर्ताः– मैं राजेन्द्र सिंह कैंतुरा पुत्र श्री दिलीप सिंह कैंतुरा निवासी–निकट कील फेक्ट्री, प्रगति विहार, ऋषिकेश जिला देहरादून, उत्तराखंड।

Rajender Singh Kainthura

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

यह कि मै/हम शपथकर्ता शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ कि –

यह कि मैं कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट देहरादून द्वारा निर्गत सराय एक्ट पंजीकरण प्रमाण संख्या– नया पंजीकरण .दिनांक..........................के आधार पर पूर्व से संचालित उक्त " होटल **Gangotri Gest House** पता कील फेक्ट्री, प्रगति विहार, ऋषिकेश जिला देहरादून, उत्तराखंड को यात्रियों/पर्यटकों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु सराय एक्ट के स्थान पर वर्तमान में प्राविधानित "उत्तराखंड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली–2014 (संशोधन–2016) के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूं/रहे है। उक्त होटल में ....20......कक्ष....20.........शैय्याएं निर्मित हैं। सराय एक्ट पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ ऑनलाईन अपलोड की गयी है।

1. यह कि "उत्तराखंड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली–2014 (संशोधन–2016) के अन्तर्गत आवेदन पत्र के साथ भवन के निर्विवाद रूप से स्वामित्व काबिज होने की पुष्टि के दावे के सत्यापन हेतु रजिस्ट्री/बैनामा आदि की छायाप्रतियां संलग्न है। भवन के स्वामित्व आदि से सम्बन्धित कोई भी विवाद न्यायालय आदि में विचाराधीन नहीं है।

NOTARY GOVT. OF UTTARAKHAND INDIA
Devendra Dutt Kuliyal
Advocate & Notary
Tehsil Rishikesh
Distt. Dehradun
Reg. No.-36/11/2009
20/7/17

2. यह कि जिस भूमि पर उक्त "होटल होटल **Gangotri Gest House** पता कील फेक्ट्री, प्रगति विहार, ऋषिकेश जिला देहरादून, उत्तराखंड "निर्मित है, का निर्विवाद स्वामित्व की पुष्टि हेतु आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत/संलग्न दस्तावेज पूर्णतया वैध एवं सही है, आवश्यकता पड़ने पर उक्त होटल के निर्विवाद स्वामित्व को सिद्ध करने का पूर्ण दायित्व मेरा /हमारा होगा। स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद के लिये शपथकर्ता उत्तरदायी होगा/होंगे।

3. यह कि "उत्तराखंड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली–2014 (संशोधन–2016) के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु प्रस्तावित उक्त भवन के स्वामित्व से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होने अथवा आवश्यकता पड़ने पर यदि मैं/हम उक्त होटल के स्वामित्व सम्बन्धी दावे को सिद्ध करने में असफल रहता हूं/रहते है, तो ऐसी दशा में जिला पर्यटन विकास अधिकारी /विहित प्राधिकारी, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद को मेरा/हमारा आवेदन पत्र एंव पंजीकरण होने की दशा में पंजीकरण निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। विहित प्राधिकारी /जिला पर्यटन विकास अधिकारी के निर्णय के खिलाफ मुझे/हमें कोई भी कानूनी अथवा किसी अन्य प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार नहीं होगा।

Rajender Singh Kandwal

4. यह कि शपथकर्ता द्वारा होटल व्यवसाय संचालन हेतु प्रस्तावित भवन में मानकों के अनुरूप अग्निरोधक यंत्र संयोजित करवा लिये गये हैं।

5. यह कि मेरे/हमारे द्वारा अपनी इकाई का संचालन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुरूप किया जा रहा है। मेरी/हमारी इकाई की सीवर लाईन से गंगा प्रदूषित नहीं होती है, भविष्य में भी उक्त इकाई का संचालन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुरूप किया जाता रहेगा।

6. यह कि होटल व्यवसाय संचालन हेतु निर्मित उक्त भवन को यात्रियों/पर्यटकों को आवासीय/रात्रि प्रवास की सुविधा सुलभ कराने के उद्देश्य से निर्मित " होटल **Gangotri Gest House** पता कील फेक्ट्री, प्रगति विहार, ऋषिकेश जिला देहरादून, उत्तराखंड " के ग्राम प्रधान ग्राम सभा ऋषिकेश जिला देहरादून से मानचित्र स्वीकृति/रोड साइड कन्ट्रोल एक्ट/प्रदूषण आदि के आधार पर यदि सक्षम प्राधिकारी/विकास प्राधिकरण/राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एन0जी0टी0) अथवा अन्य सम्बन्धित विभागों द्वारा कोई प्रतिकूल निर्णय/कार्यवाही की जाती है तो विहित प्राधिकारी/जिला पर्यटन विकास अधिकारी को मेरी/हमारी इकाई का पंजीकरण होने की दशा में निर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र निरस्त करने का पूर्ण अधिकारी होगा।

NOTARY GOVT. OF UTTARAKHAND INDIA
Devendra Dutt Kuliyal
Advocate & Notary
Tehsil Rishikesh
Distt. Dehradun
Reg. No.-30/112091
20/7/08

7. यह कि शपथकर्ता द्वारा उक्त योजना के संचालन से सम्बन्धित सभी सम्बन्धित विभागों/सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. यह कि शपथकर्ता द्वारा प्रस्तावित योजनासे सृजित आस्ति/प्रतिष्ठान के क्रियान्वयन/संचालन में पर्यावरण की सुरक्षा /स्वच्छता, प्रदूषण नियन्त्रण एंव जल संचय /जल संरक्षण का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

9. यह कि शपथकर्ता द्वारा प्रस्तावित योजना के संचालन के सम्बन्ध में योजनान्तर्गत प्राविधानित सभी विद्यमान एवं समय–समय पर जारी होने वाली शर्तें व नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा।

Rajendra Singh Raintura

10. यह कि प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत पंजीकृत किये गये भवन में विदेशी पर्यटको के ठहरने पर उनके पासपोर्ट/वीजा इत्यादि का विवरण सम्बन्धित अनुरक्षित पंजिका में किया जायेगा तथा फार्म सी0में विवरण सम्बन्धित विभाग यथा स्थानीय अभिसूचना इकाई/पर्यटन विभाग द्वारा ससमय उपलब्ध करवाया जायेगा।

11. यह कि उक्त भवन में किसी भी प्रकार की अवैधानिक वाणिज्यिक गतिविधियों का संचालन नहीं किया जायेगा। पंजीकृत किये गये कक्षों के अतिरिक्त अन्य कक्षों को किराये पर नही दिया जायेगा और पर्यटन विभाग द्वारा प्रमाणित किराया दरों को स्वागत पटल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

12. उक्त इकाई के संचालन के दौरान मेरे/हमारे द्वारा मा0 न्यायालय/नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल/सक्षम हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण/मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण/दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/कैंट बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/अग्नि शमन विभाग के नियमों–शर्तों के उल्लंघन/परिपूर्ण न करने की दशा में यह पंजीकरण स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। जिस पर कि मुझे/हमें किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

NOTARY GOVT. OF UTTARAKHAND INDIA
Devendra Dutt Kuliyal
Advocate & Notary

13. यह कि मेरी/हमारी इकाई के मानचित्र स्वीकृत /अन्य किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने/झूठा होने पर स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। जिस पर कि मुझे/हमे किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

14. यह कि पर्यटन विभाग द्वारा यदि उक्त आवासीय इकाई को उत्तराखंड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली–2014 (संशोधन–2016)के अन्तर्गत पंजीकृत किये जाने के फलस्वरूप प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है तो उस प्रमाण पत्र को किसी भी वैधानिक दस्तावेज के रूप में किसी भी न्यायालय आदि में अपने किसी भी स्वामित्व आदि के दावे के सत्यापन हेतु आधार नहीं बनाया जायेगा।

15. यह कि मेरे/हमारे द्वारा "उत्तराखंड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली –2014 (संशोधन–2016) में किये गये प्राविधानों/नियमों/उप–नियमों/ शर्तों को भली भांति पढ लिया गया है, जिस का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जायेगा।

Rajender Singh Kaintura

16. यह कि यदि स्वामित्व/पार्टनशिप से सम्बन्धित कोई वाद/विवाद उत्पन्न होने पर पर्यटन विभाग द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र को स्वामित्व/किसी अन्य प्रकरण के लिये आधार नहीं बनाया जायेगा।

यह कि पैरा नं0–1 से 17 तक मेरे संज्ञान में सच व सही है कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है यदि इसमें कोई भी तथ्य झूठा पाया जाये तो उसकी जिम्मेदारी मुझ शपथकर्ता की होगी तथा उपरोक्त बिन्दुओं में किसी भी तथ्य के झूठा पाये जाने के आधार पर यदि किसी भी विभाग/हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण/ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण/दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/ कैंट बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/अग्निशमन विभाग/न्यायालय/खाद्य सुरक्षा/न्याय पालिका द्वारा उक्त योजना से सम्बन्धित किसी भी स्तर पर हमारे विरूद्ध कोई जांच अथवा कार्यवाही/कानूनी कार्यवाही की जाती है और उसके अन्तर्गत हमारी उक्त इकाई के संचालन सम्बन्धी कोई प्रतिकूल निर्णय लिया जाता है तो जिला पर्यटन विकास अधिकारी/विहित प्राधिकारी को हमारी उक्त इकाई के संचालन हेतु निर्गत पंजीकरण पत्र निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा, जिस पर मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

आज दिनांक–20/07/2020 को मै/हम शपथकर्ता उपरोक्त लिखी गई शपथ पत्र की समूची इबारत का सही व सत्य होना कबूल करता हूँ /करते हैं।

शपथकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

Rajendra Singh Kaintura

राजेन्द्र सिंह कैंतुरा पुत्र श्री दिलीप सिंह कैंतुरा निवासी–निकट कील फेक्ट्री, प्रगति विहार, ऋषिकेश जिला देहरादून, उत्तराखंड।

This Affidavit is sworn before me by Sh. Rajendra Singh Kaintura who is identified Rishikesh on 20/07/2020

D.D. KULIYAL 20/7/2020
Advocate Notary
Reg. No.-3(...)2001
Tehsil Rishikesh
Distt. Dehradun

NOTARY GOVT. OF UTTARAKHAND
Devendra Dutt Kuliyal
Advocate & Notary
Tehsil Rishikesh
20/7/2020